ग्राम पंचायत ठारू, विकास खण्ड नगरोटा बगवाँ, जिला काँगड़ा के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024

भाग–एक

1. **प्रस्तावना :–**

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत ठारू, विकास खण्ड नगरोटा बगवाँ, जिला काँगड़ा के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के लेखों का अंकेक्षण हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत ठारू में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थेः–

प्रधान :–

1	श्री अजय कुमार	01.04.2022 से 31.03.2024

सचिव :–.

1	श्री अनिल कुमार	01.04.2022 से 31.03.2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :–

ग्राम पंचायत ठारू के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:

क्र0 सं0	पैरा संख्या	अनियमितताओं का सक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	4	रोकड़ बही एवं बैंक खातों के शेषों का नियमानुसार मिलान न करने के फलस्वरूप रोकड़ बही एवं बैंक खातों के अन्तशेषों में अन्तर की बढ़ौत्तरी का पाया जाना ।	1.87

2	4.3	सभा निधि से अनियमित व्यय / लगातार माइनस शेष में बढ़ौतरी	1.44
3	5	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना ।	20.45
	6	पंचायत राजस्व का वसूली हेतू शेष पाया जाना ।	1.63
4	6.1	विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली न करना	0.11
6	7	ट्रांजिट पास फार्म X या W प्राप्त किये बिना अनियमित भुगतान करना	12.36
7	8	औपचारिकतायें पूर्ण किए बिना भुगतान करना ।	3.03
8	9	निर्माण कार्य के लिए अधिक भुगतान करना	0.16
9	10 व 10.1	अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत न करना	30.49

(ग) गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन :–

वर्तमान अंकेक्षण के दौरान पंचायत द्वारा लम्बित पैरों के समायोजन हेतु कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई, जोकि चिन्तनीय विषय है । अतः ग्राम पंचायत द्वारा लम्बित पैरों के समायोजन हेतु विशेष कार्यवाही करना सुनिश्चित की जाये व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवायें ताकि अधिक से अधिक पैरों का समायोजन सम्भव हो सके । वर्तमान अंकेक्षण उपरान्त अनिर्णीत पैरों की स्थिति निम्न प्रकार से है :–

<u>1 अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 01.04.2019 से 31.03.2021</u>

क्र0 सं0	पैरा संख्या	निर्णीत / अनिर्णीत ।
1	3	निर्णीत । (अंकेक्षण शुल्क की पुष्टि उपरान्त मॉंग एवं प्राप्ति रजिस्टर पृष्ठ संख्या 325)
2	5.1	अनिर्णीत ।
3	5.2	अनिर्णीत ।
4	6	अनिर्णीत ।
5	7	अनिर्णीत ।
6	8	अनिर्णीत ।
7	9	अनिर्णीत ।
8	10	अनिर्णीत ।
9	11	अनिर्णीत ।
10	12	अनिर्णीत ।
11	13	अनिर्णीत ।
12	14	अनिर्णीत ।
13	15	अनिर्णीत ।

14	16	अनिर्णीत ।
15	17	अनिर्णीत ।
16	18	अनिर्णीत ।
17	20	अनिर्णीत ।

2 अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 01.04.2021 से 31.03.2022

क्र0सं0	पैरा संख्या	निर्णीत/अनिर्णीत ।
1	3	निर्णीत, अंकेक्षण शुल्क प्राप्ति की पुष्टि उपरान्त ।
2	4	अनिर्णीत ।
3	4.1	अनिर्णीत ।
4	4.2	अनिर्णीत ।
5	4.3	अनिर्णीत ।
6	5	अनिर्णीत ।
7	6	अनिर्णीत ।
8	7	अनिर्णीत ।
9	7.2	अनिर्णीत ।
10	7.3	अनिर्णीत ।
11	8	अनिर्णीत ।
12	8.1	अनिर्णीत ।
13	9	अनिर्णीत ।
14	10	अनिर्णीत ।
15	11	अनिर्णीत ।
16	12	अनिर्णीत ।

भाग–दो

2. **वर्तमान अंकेक्षण :–**

ग्राम पंचायत ठारू, विकास खण्ड नगरोटा बगवाँ, जिला काँगड़ा के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 तक के लेखों का अंकेक्षण श्री मन मोहन शर्मा, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 29.07.2024 से 03.08.2024 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखों की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया :–

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2022–2023	09/2022	05/2022
2023–2024	11/2023	06/2023

अस्वीकरण (Disclaimer):- इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है । पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा ।

3. **अंकेक्षण शुल्क :-**

ग्राम पंचायत ठारू, विकास खण्ड नगरोटा बगवाँ, जिला काँगड़ा के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹4800/- बनता है। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 308 दिनांक 05.08.2024 द्वारा अनुरोध किया गया ।

4. **वित्तीय स्थिति :-**

ग्राम पंचायत ठारू, विकास खण्ड नगरोटा बगवाँ द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :-

(1) स्वः स्त्रोत :- ग्राम पंचायत ठारू के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 तक के स्वः स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरण :-

वर्ष	अथशेष (₹)	प्राप्ति (₹)	ब्याज (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2022-23	-126780	7229	18262	-101289	123798	-225087
2023-24	-225087	119929	11073	-94085	49963	-144048

(2) अनुदान : ग्राम पंचायत ठारू के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 तक के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट-1** में भी दिया गया है :-

वर्ष	अथशेष (₹)	प्राप्ति (₹)	ब्याज (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2022-23	2830647.42	8674949.00	61202.00	11566798.42	9155689.00	2411109.42
2023-24	2411109.42	3671364.00	61304.00	6143777.42	4098685.00	2045092.42

बैंक समाधान विवरणी :–

Own Source, 5TH SFC, 14thFC, 15th FC, MPLAD,SAI

A/c No. 50056020292	KCCB Nagrota Bagwan	62816
A/c No. 20012008112	KCCB Nagrota Bagwan	306134
A/c No. 50056020372	KCCB Nagrota Bagwan	9654
A/c No.50056016571	KCCB Nagrota Bagwan	1393
A/C No. 50100167336530	HDFC Nagrota Bagwan	38.6
A/C No. 50100345122085	HDFC Nagrota Bagwan	1706983.6
cash in hand		1011
	Total	**2088030.2**

Cash Book Balance on 31.03.2024 (Own Source)		-144048
Cash Book Balance on 31.03.2024	PS	19898
Cash Book Balance on 31.03.2024	5 SFC	219337.52
Cash Book Balance on 31.03.2024	14TH FC	38.6
Cash Book Balance on 31.03.2024	15TH FC	1706983.3
Cash Book Balance on 31.03.2024	SDP	63409
Cash Book Balance on 31.03.2024	MPLAD	35426
	Total	**1901044.42**
	diffrence	**-186985.78**

4.1 गत अंकेक्षणापति उपरान्त भी रोकड़ बही एवं बैंक खातों के शेषों का नियमानुसार मिलान न करने के फलस्वरूप रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों में ₹1.87 लाख का बहुत ज्यादा अन्तर पाया जाना :–

ANNUAL REPORT

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) एवं 10 (1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य है।

गत अंकेक्षणापत्ति उपरान्त भी पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों के शेषों का बैंक खातों के शेषों से मिलान न करने के फलस्वरूप अन्तर की राशि में बढ़ौतरी का पाया जाना अनियमित एवं गम्भीर आपत्तिजनक है। दिनांक 31.03.2024 को स्व–स्त्रोत तथा अन्य स्कीमों की रोकड बही एवं बैंक पास बुक के अन्तिम शेष का अन्तर ₹1,86,985.78 पाया गया, जो पंचायत की सच्ची व सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाता है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 309 दिनांक 05.08.2024 द्वारा अनुरोध किया

गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या जीपीटी–01 दिनांक 14.08.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि रोकड़ बहियों तथा बैंक खातों का मिलान करके आगामी अंकेक्षण में दर्शा दिया जायेगा ।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत नियमानुसार रोकड़ बही के शेष व बैंक राशि का मिलान करना सुनिश्चित करें व वस्तुस्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ।

4.2 पंचायत के लेखे खातों का रख–रखाव नियमानुसार न करना :–

1. हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(2) के अनुसार लेखों का रख–रखाव खाता "क" व "ख" के रूप में किया जाना अपेक्षित है ।

2. निदेशक, पंचायती राज के पत्र संख्या PCH-HC(10)/2016-5072-95 दिनांक 24.01.2018 में दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुसार आय–व्यय का लेखांकन PRIYA SOFTWARE में किया जाना अपेक्षित है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया कि पंचायत में लेखों का रख–रखाव उक्त नियम एवं निर्देशों के अनुसार नहीं किया गया था, जिसका औचित्य स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 310 दिनांक 05.08.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या जीपीटी–01 दिनांक 14.08.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि खाता क व ख का संधारण कर लिया जायेगा व प्रिया सॉफ्ट में कार्य कर रहे हैं जोकि पूर्ण कर लिया जायेगा।

अतः नियम प्रावधानों एवं निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित न करने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुये ये महत्वपूर्ण अभिलेख पूर्ण करके अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये।

4.3 सभा निधि के राशि ₹1.44 लाख के माइनस शेष बारे :–

ANNUAL REPORT

अंकेक्षण के दौरान पाया कि पचायत के स्वः स्त्रोत शीर्ष में दिनांक 01.04.22 को अथशेष ₹126780/– व 31.03.2024 को अन्तिम शेष ₹ 144048/– की राशि का **माइनस शेष** पाया गया, जिसका औचित्य स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 316 दिनांक 05.08.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या जीपीटी–01 दिनांक

14.08.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि इस विषय पर कार्यवाही करने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा ।

अतः गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में इस सन्दर्भ में दर्ज अनियमितता की पुनरावृति का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हेतु अंकेक्षण को दिये आश्वासनानुसार आवश्यक अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जाये ।

5. अनुदान राशि ₹ 20.45 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जाना :–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार प्राप्त अनुदान राशि को फडिंग एजैन्सी की आवश्यकताओं और दिशा निर्देशों के अनुसार खर्च किया जाना अनिवार्य है।

पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना **(परिशिष्ट–1)** के अनुसार दिनांक 31.03.2024 तक अनुदान ₹20,45,092.42 की राशि उपयोग हेतु शेष थी, जिससे स्पष्ट है कि विभिन्न अनुदान शीर्षों के अन्तर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यों का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह पंचायत पीछे है।

अतः शेष अनुदान की राशि को अंकेक्षण अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए यथास्थिति अधिकारी से आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को नियमानुसार व्यय करना सुनिश्चित किया जाये तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

6. पंचायत राजस्व ₹1.63 लाख का वसूली हेतू शेष पाया जाना:–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 34(2) के अनुसार ग्राम पंचायत को देय कोई भी राशि बिना पर्याप्त कारणों के परादेय (Outstanding) नहीं रखी जायेगी तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 114 में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति किसी कर, शुल्क, दर राशि का भुगतान नहीं करता है तो वह जुर्माने के साथ दण्ड का भागीदार होगा। इसके अतिरिक्त पंचायत सचिव द्वारा फार्म 10 के अनुसार पंचायत के गृह कर का मॉग व संग्रहण रजिस्टर तैयार करना अपेक्षित है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया कि पंचायत में सम्पत्ति कर से सम्बन्धित अभिलेख पूर्ण रूप से तैयार नहीं किये गये थे जिस कारणवश सम्पत्ति कर से प्राप्त राशि, मॉग की

गई राशि एवं दिनांक 31.03.2024 को बकाया राशि की सत्यता की पूर्ण जाँच नहीं की जा सकी । पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना एवं प्रस्तुत अभिलेखानुसार पंचायत ने अपने अधिकार क्षेत्र में अंकेक्षणावधि के दौरान वित्तीय वर्ष 2022–23 ₹50/–व वर्ष 2023–24 में ₹100/– **परिशिष्ट–2** अनुसार प्रति परिवार प्रतिवर्ष की दर से गृहकर आरोपित किया गया था । दिनांक 31.03.2024 को निम्न विवरणानुसार पंचायत का कुल राजस्व सम्पत्ति कर ₹1,62,800/– वसूली हेतु शेष था:–

सम्पति कर :–

वर्ष	अथशेष (₹)	गृहकर की माँग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतू शेष राशि (₹)
2022–2023	87550	48850	136400	0	136400
2023–2024	136400	97700	234100	71300	162800

उपरोक्त तालिका, तथ्यों एवं आंकड़ों से स्पष्ट है कि अंकेक्षण अवधि के दौरान सम्पति कर/गृह कर की नियमित वसूली नहीं की गई थी, जो इस बात की ओर संकेत करता है कि पंचायत अपनी आय बढ़ाने एवं कर उगाही के प्रति गम्भीर नहीं है। यदि पंचायत राजस्व की बकाया राशि इसी तरह बकाया रहती रही तो एक समय पर इसे संग्रहित करना असम्भव हो जायेगा ।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 311 दिनांक 05.08.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या जीपीटी–01 दिनांक 14.08.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि सम्पत्ति कर से सम्बन्धित अभिलेख तैयार कर लिये गये हैं तथा बकाया राशि ₹1,62,800/– शीघ्र ही वसूल कर ली जायेगी ।

अतः नियमानुसार पंचायत राजस्व की इतनी अधिक राशि के परादेय होने के कारणों से अवगत करवाते हुये अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत वस्तुस्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित करें ।

6.1 **विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹11,000/– की वसूली न करने बारे:–**

संयुक्त निदेशक, पंचायती राज विभाग की अधिसूचना संख्या PCH-HA(1)8/2013-Marriage 8017-8110 दिनांक 28.10.16 के अन्तर्गत विवाह के 30 दिन के भीतर पंजीकरण हेतु विवाह पंजीकरण शुल्क ₹200/– (बी0पी0एल0 परिवार ₹25/–) एवं 30 दिन के उपरान्त व 90 दिन के भीतर विवाह पंजीकरण शुल्क ₹400/–(बी0पी0एल0 परिवार ₹50/–) प्रति विवाह की दर से वसूल की जानी अपेक्षित है।

ANNUAL REPORT

अंकेक्षण के दौरान पाया कि गत अंकेक्षण के दौरान दर्ज अंकेक्षणापत्ति के उपरान्त वर्तमान अंकेक्षण अवधि हेतु भी निम्न विवरणानुसार ₹ 11,000/– विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूल नहीं किये गये थे:–

क्र0 सं0	विवाह पंजीकरण संख्या	नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण की तिथि	वसूली योग्य राशि (₹)	वसूली गई राशि (₹)	वसूली हेतु शेष राशि। (₹)
1	29	रवि कुमार पुत्र श्री निकू राम	07.03.22	22.04.22	400	0	400
2	30	राघव सोनी पुत्र श्री राकेश कुमार	21.04.22	10.05.22	200	0	200
3	31	विकास कुमार पुत्र श्री अजीत कुमार	03.04.22	25.05.22	400	0	400
4	32	सौरभ चौधरी पुत्र श्री अनिल कुमार	09.05.22	31.05.22	200	0	200
5	33	अंशुल कुमार पुत्र श्री रमेश चन्द	04.05.22	15.06.22	400	0	400
6	34	रमेश कुमार पुत्र श्री प्रकाश चन्द	08.06.22	26.07.22	400	0	400
7	35	कृष्ण कुमार पुत्र श्री जोगिन्दर	04.07.22	22.07.22	200	0	200
8	36	अमित कुमार पुत्र श्री जगदीश चन्द	09.05.22	29.07.22	400	0	400
9	37	बलदेव सिंह पुत्र श्री बृज लाल	20.11.77	25.08.22	400	0	400
10	38	शुभम कुमार पुत्र श्री सन्त राम	02.12.22	14.12.22	200	0	200
11	39	शुभम चौधरी पुत्र श्री केवल कृष्ण	02.12.22	20.12.22	200	0	200
12	40	संजीव कुमार पुत्र श्री मान चन्द	09.12.22	24.12.22	200	0	200

13	41	रजत चौधरी पुत्र श्री विपन कुमार	04.12.22	17.01.23	400	0	400
14	42	अरूण कुमार पुत्र दीप चन्द	04.12.22	07.02.23	400	0	400
15	43	प्रियांक पुत्र श्री रवि कुमार	25.01.23	07.02.23	200	0	200
16	44	गौरव कुमार पुत्र ओम प्रकाश	25.01.23	16.02.23	200	0	200
17	45	निशांत कुमार पुत्र श्री अश्वनी कुमार	22.02.23	09.03.23	200	0	200
18	46	अमित कटोच पुत्र श्री ओंकार चन्द कटोच	09.12.22	09.03.23	400	0	400
19	47	प्रवेश चौधरी पुत्र श्री बाबू राम	23.02.23	04.04.23	400	0	400
20	48	रिशू कुमार पुत्र श्री प्रकाश चन्द	02.05.23	25.05.23	200	0	200
21	49	रोहित कुमार पंत्र श्री कुलदीप चन्द	12.05.23	03.06.23	200	0	200
22	50	कशमीर सिंह पुत्र श्री मदन लाल	10.05.23	09.06.23	200	0	200
23	51	राकेश कुमार पुत्र श्री प्रताप चन्द	11.05.23	12.06.23	400	0	400
24	52	सचिन कुमार पुत्र श्री विपन कुमार	16.05.23	12.06.23	200	0	200
25	53	अनुराग डोगरा पुत्र श्री प्रेम चन्द डोगरा	24.09.23	06.11.23	400	0	400
26	54	सन्नी कुमार पुत्र श्री सरवण कुमार	06.11.23	21.11.23	200	0	200
27	55	अमन कुमान पंत्र श्री सुमन कुमार धीमान	31.10.23	30.11.23	200	0	200
28	56	सन्दीप कुमार पुत्र श्री अमर सिंह	2211.23	04.12.23	200	0	200
29	57	विक्की कौंडल पुत्र श्री राजेश कौंडल	22.11.23	07.12.23	200	0	200
30	58	कुलविन्द्र सिंह पुत्र श्री सुभाष चन्द	26.10.23	12.12.23	400	0	400
31	59	बलराम पुत्र श्री भाग चन्द	08.12.23	03.01.24	200	0	200
32	60	आशीष कुमार पुत्र श्री अतुल कुमार	08.12.23	03.01.24	200	0	200
33	61	हेम राम पुत्र श्री हरवंश लाल	08.12.23	04.01.24	200	0	200
34	62	अंकुश चौधरी पुत्र श्री सुख लाल चौधरी	28.11.23	23.01.24	400	0	400
35	63	रोहित पुत्र श्री कैलाश चन्द	16.01.24	02.02.24	200	0	200

36	64	वनीत कुमार पुत्र श्री कुलदीप कुमार	20.01.24	05.02.24	200	0	200
37	65	रमन कुमार पुत्र श्री राजपाल	04.02.24	23.02.24	200	0	200
38	66	अक्षय कुमार पुत्र श्री शंकर	04.02.24	01.03.24	200	0	200
39	67	भगवान दास पुत्र श्री छोटू राम	07.12.23	01.03.24	400	0	400
40	68	अमित कुमार पुत्र श्री रणवीर सिंह	18.02.24	01.03.24	200	0	200
							11000

उक्त विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 312 दिनांक 05.08.2024 द्वारा पंचायत सचिव से आग्रह किया गया जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या जीपीटी–01 दिनांक 14.08.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि विवाह पंजीकरण की वसूली करने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा ।

अतः गत अंकेक्षणापत्ति के उपरान्त भी इस अनियमितता की पुनरावृति के कारणों से अवगत करवाते हुये अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जायें ।

7. खनन सामग्री के आपूर्ति से सम्बन्धित ट्रांजिट पास फार्म X या W प्राप्त किये बिना ही आपूर्तिकर्ताओं को राशि ₹12.36 लाख के अनियमित भुगतान करने बारेः–

हि0 प्र0 माइनर मिनरल्स नियम, 2015 के नियम 81 व 81–ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माईनिंग लीज़ होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रॉजिट पास (फार्म–डब्ल्यू) या सप्लिमैंटरी पास (फार्म–एक्स) उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25 % पैनल्टी सहित करना होगा, किन्तु निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग शिमला के पत्र संख्या XEN-(RD&PR)-DB-General/2023-1/204192/2023-34307-30 दिनांक 02.11.2023 के अन्तर्गत पुनः दिये गये निर्देशानुसार संविदाकारों/विक्रेताओं से

माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के दृष्टिगत अब रॉयल्टी नहीं काटी जा सकती तथा उन्हें भुगतान केवल वैध ट्रांजिट पास फार्म एक्स या डब्ल्यू जमा/उपलब्ध करवाने उपरान्त ही किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत द्वारा संलग्न **परिशिष्ट 3** अनुसार चुनिंदा वाउचरों के तहत निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु आपूर्तिकर्ताओं से खनन सामग्री जैसे रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि की आपूर्ति के समर्थन में उक्त ट्रांजिट पास फार्म अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गये, परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को चुनिंदा मासों के दौरान ₹12,36,482/– का अनियमित भुगतान एवं पूर्वोक्त नियम प्रावधानों एवं समय–समय पर जारी आदेशों एवं निर्देशों की अवहेलना के दृष्टिगत अंकेक्षण अवधि में किये गये समस्त भुगतान अनियमित प्रतीत होते हैं।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 313 दिनांक 05.08.2024 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के पत्र संख्या जीपीटी–01 दिनांक 14.08.2024 द्वारा सूचित किया कि रॉयल्टी की कटौती नहीं की गई है व भविष्य मे रॉयल्टी काट कर ही भुगतान किया जायेगा। प्रस्तुत उत्तर अंकेक्षणापत्ति के अनुकूल न होने के कारण सन्तोषजनक नहीं पाया गया।

अतः अंकेक्षण अवधि के दौरान खनन सामग्री आपूर्तिकर्ताओं को नियमाविरूद्व एवं समय–समय पर जारी निर्देशों के विरूद्ध किये गये समस्त अनियमित भुगतानों को उनके पूर्ण विवरण सहित या तो समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अथवा किसी प्रकार के संशय की स्थिति में इस प्रकरण को सम्बन्धित जिला खनन अधिकारी से उठाते हुये तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

ANNUAL REPORT

8. औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना ₹ 3.03 लाख स्टॉक/स्टोर का क्रय करना:–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4), 67(5) एवं 69 द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकतायें (निविदायें इत्यादि आमन्त्रित करना) प्रावधित हैं ।

व्यय वाउचरों के अंकेक्षण के दौरान पाया कि पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार ₹ 3,03,343/– के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना ही किया गया था एवं समुचित आपूर्ति आदेश के अभाव में प्राप्त सामग्री की माँग

अनुरूप होने की और बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाने की पुष्टि अंकेक्षण में नहीं हो सकी, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 314 दिनांक 05.08.2024 द्वारा तथ्यपूर्ण स्थिति स्पष्ट करने बारे अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या जीपीटी–01 दिनांक 14.08.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि किये गय क्रय की कार्योत्तर स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर ली जायेगी ।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत कृत व्यय/क्रय की कार्योत्तर स्वीकृति सक्षम अधिकारी से लेकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवायें एवं भविष्य में बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाते हुये नियमानुसार ही क्रय करना सुनिश्चित किया जाये।

वाउचर संख्या व दिनांक	बिल का विवरण	सामग्री का विवरण	राशि (₹)	कार्य का नाम
06, 05.05.22	बिल नं० शून्य दि० 15.05.22 विपन कुमार	टैंट इत्यादि	15000.00	सभा फण्ड
07, 15.05.22	बिल नं० 3254 दि० 06.05.22 मै० सुविधा सेल	सरिया	61737.00	नि० शिव मन्दिर मटियारी Deposit work
32, 05.09.22	बिल नं० 4466 दि० 03.09.22 मै० सुविधा सेल	सरिया	96749.00	सौंदर्यकरण शिव मन्दिर मटियारी Deposit work
36, 01.10.22	बिल नं० शून्य दि० शून्य विपन कुमार	चाय पान	17800.00	सभा फण्ड
20, 08.11.23	गबिल नं० 794 दि० 08.11.23 मै० एस०के० ग्लास हाउस	दरवाजे, खिड़कियाँ	98357.00	अपवर्धन व नि० सामुदायिक भवन मटियारी Relief
28, 17.01024	बिल नं० शून्य दि० शून्य विपन कुमार	चाय पान	13700.00	सभा फण्ड

9. निर्माण कार्य रास्ता टियाला से गनूडी तक के लिए ₹0.16 लाख के अधिक भुगतान बारे ।

अंकेक्षण के दौरान पाया कि निर्माण कार्य रास्ता टियाला से गनूडी तक के लिए निम्न विवरणानुसार सामग्री का क्रय किया गया था जबकि माप पुस्तिका संख्या 34 पृष्ठ 7–9 में निर्माण कार्य पर उपयोग हुई सामग्री का निष्पादन निर्धारित मापदण्डों के अनुसार कम किया दर्शाया गया था तथा बची हुई सामग्री का स्टॉक रजिस्टर में भी लेखांकन नहीं किया गया था । अंकेक्षण अधियाचना संख्या 315 दिनांक 05.08.2024 द्वारा तथ्यपूर्ण स्थिति स्पष्ट करने बारे अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या जीपीटी–01

दिनांक 14.08.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि इस विषय पर कार्यवाही करने उपरान्त आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा।

सामग्री का नाम	क्रय की गई मात्रा	माप पुस्तिका अनुसार निर्माण कार्य पर उपयोग की गई मात्रा	अन्तर	दर	राशि
रेत	600	360	240	48	11520.00
बजरी	830	710	120	40	4800.00

अतः नियमानुसार आगामी तकनीकी अधिकारी की जाँच एवं सत्यापना सहित कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जायें अन्यथा अधिक किये गये भुगतान की वसूली करना सुनिश्चित की जाये ।

10 राशि ₹30.28 लाख के भुगतान से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करने बारेः–

ANNUAL REPORT

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षण, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 79 (2) के प्रावधानानुसार संपरिक्षक (कों) को सुसंगत अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत करने हेतु सचिव जिम्मेदार होगा।

अंकेक्षण के दौरान में पाया कि वर्ष 2023–24 में मनरेगा के तहत चयनित माह में किये व्ययों ₹3028000 से सम्बन्धित अभिलेख बिल/वाउचर अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गये, जिस कारण भुगतानों की सत्यता की पूर्ण जाँच नहीं की सकी। अतः उक्त वर्ष में किये गये व्ययों से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करने का औचित्य स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 317 दिनांक 05.08.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या जीपीटी–01 दिनांक 14.08.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के समय प्रस्तुत कर दिया जायेगा ।

अतः वांछित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत न करने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुये हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 101 (2) (iii) की अनुपालना सहित अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

ANNUAL REPORT

10.1 व्यय से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करने बारे ।

अंकेक्षण के दौरान पाया कि निर्माण कार्य रास्ता खडयाल बस्ती हेतु रोकड़ बही के पृष्ठ सख्या 16 के अनुसार सीमेंट क्रय हेतु ₹20,850/– का भुगतान किया गया दर्शाया गया है परन्तु उक्त व्यय से सम्बन्धित बिल/वाउचर अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं

किये गये। जिसका औचित्य स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 321 दिनांक 05.08.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या जीपीटी–01 दिनांक 14.08.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि व्यय से सम्बन्धित बिल को प्राप्त करने उपरान्त आगामी अंकेक्षण के समय प्रस्तुत कर दिया जायेगा ।

अतः नियमानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये।

11. **निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अभिलेख स्वीकृति/कार्य आदेश, प्राकल्लन, माप पुस्तिका व उपयोगिता प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करने बारे:–**

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 व संशोधित नियम 2017 के नियम 94, 95 व 101 अनुसार किसी भी विकास कार्य का निष्पादन प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति, माप पुस्तिका व प्राक्कलन तैयार किये बिना नहीं किया जा सकता है । अंकेक्षण के दौरान पाया कि निम्न विवरणानुसार कनिष्ठ अभियन्ता स्तर पर करवाये गये विकास/निर्माण कार्यों के प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति, कार्य आदेश प्राक्कलन व उपयोगिता प्रमाण इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके अभाव मे किये गये कार्यों व उसमे प्रयुक्त सामग्री/लेबर पर व्यय, खपत एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी। जोकि लेखा परीक्षा के प्रति न सिर्फ उदासीनता को परिलक्षित करता है अपितु निर्माण कार्यों में हुए व्यय को भी सन्देहजनक बनाता है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 320 दिनांक 05.08.2024 द्वारा अवगत करवाया जिसके सन्दर्भ में जीपीटी–01 दिनांक 14.08. 2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि निर्माण कार्य कनिष्ठ अभियन्ता स्तर का है इससे सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जायेगा। अतः नियमानुसार की गई कार्यवाही से अंकेक्षण को सूचित करवाना सुनिश्चित किया जाये ।

	2022-23
1	नि0 व सौन्दर्यकरण शिव मन्दिर मटियारी

12. **विहित रजिस्टरों का रख–रखाव न करना :–**

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31, 72 व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम

34 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख–रखाव किया जाना अनिवार्य है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, लेखांकन प्रक्रिया के अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण होने के चलते किसी भी स्तर पर धन, सामग्री के रिसन एवं दुरूपयोग की सम्भावना से अंकेक्षण में इन्कार नहीं किया जा सकता है, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है ।

अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये :–

क्र0सं0	रजिस्टर का प्रकार/विवरण	प्रारूप	सन्दर्भित नियम
1	रसीद बुकों का स्टॉक रजिस्टर	4	13(5)
2	विकास कार्यों के निष्पादन का रजिस्टर हि0प्र0 पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997	7	34
3	वर्गीकृत सार	8	29 (4)
4	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
5	प्रकीर्ण माँग व संग्रहण रजिस्टर	10	33, 77(4)
6	बजट प्राकल्लन	11, 12	37, 38
7	बिल रजिस्टर	13	48
8	मुद्रित सामग्री का स्टॉक रजिस्टर	27	72 (1)(ग)
9	माप पुस्तिकाओं का अनुरक्षण रजिस्टर		101(2) (V)

13. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना :–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये ।

14. **लघु आपत्ति विवरणिका** :– इसे अलग से जारी नहीं किया गया, अपितु छोटी–छोटी आपत्तियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया ।

15. **निष्कर्ष** :–लेखों में सुधार की आवश्यकता है ।

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

07 NOV 2024
5296–5300

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल०ए०)एच(पंच)(xv)(2)325 / 2021–खण्ड–1 दिनांक, शिमला–09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ / आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि०प्र०, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सभी सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि०प्र० विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी कॉंगड़ा, जिला कॉंगड़ा, हि०प्र०।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड नगरोटा बगवॉं, जिला कॉंगड़ा (हि०प्र०)।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत ठारू, विकास खण्ड नगरोटा बगवॉं, जिला कॉंगड़ा (हि०प्र०) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करे।

07 NOV 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

परिशिष्ट–1

अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा सख्या 4 के सन्दर्भ में

Financial Position of Grant in aid in r/o Gram Panchayat "THARU" for the year ended 2022-23

Sr.no.	Particulars	Op.Balance	Receipt	Interest	Total	Expenditure	Closing Balance
1	PS	220550	0	0	220550	200652	19898
2	5 SFC	162337.52	165600	0	327937.52	165600	162337.52
4	14TH FC	38.6	0	0	38.6	0	38.6
5	15TH FC	1781861.3	2094399	61202	3937462.3	1897912	2039550.3
9	SAI	318160	0	0	318160	254751	63409
11	MPLAD	347700	150000	0	497700	371824	125876
16	MNREGA	0	6264950	0	6264950	6264950	0
	Total Rs.	2830647.42	8674949	61202	11566798.42	9155689	2411109.42

Financial Position of Grant in aid in r/o Gram Panchayat "THARU" for the year ended 2023-24

Sr.no.	Particulars	Op.Balance	Receipt	Interest	Total	Expenditure	Closing Balance
1	PS	19898	0	0	19898	0	19898
2	5 SFC	162337.52	214200	0	376537.52	157200	219337.52
4	14TH FC	38.6	0	0	38.6	0	38.6
5	15TH FC	2039550.3	305399	61304	2406253.3	699270	1706983.3
9	SAI	63409	0	0	63409	0	63409
11	MPLAD	125876	123765	0	249641	214215	35426
16	MNREGA	0	3028000	0	3028000	3028000	0
	Total Rs.	2411109.42	3671364	61304	6143777.42	4098685	2045092.42

Balance as per Bank on 31.03.2024

1 Own Source, 5TH SFC, 14thFC, 15th FC, MPLAD,SAI

A/c No. 50056020292	KCCB Nagrota Bagwan	62816
A/c No. 20012008112	KCCB Nagrota Bagwan	306134
A/c No. 50056020372	KCCB Nagrota Bagwan	9654
A/c No.50056016571	KCCB Nagrota Bagwan	1393
A/C No. 50100167336530	HDFC Nagrota Bagwan	38.6
A/C No. 50100345122085	HDFC Nagrota Bagwan	1706983.6
cash in hand		1011
	Total	**2088030.2**

Cash Book Balance on 31.03.2024 (Own Source)		-144048
Cash Book Balance on 31.03.2024	PS	19898
Cash Book Balance on 31.03.2024	5 SFC	219337.52
Cash Book Balance on 31.03.2024	14TH FC	38.6
Cash Book Balance on 31.03.2024	15TH FC	1706983.3
Cash Book Balance on 31.03.2024	SDP	63409
Cash Book Balance on 31.03.2024	MPLAD	35426
	Total	1901044.42
	diffrence	-186985.78

Checked

PRADHAN SECY

PANCHAYAT THARU
DEV. B... NAGROTA BAGWAN, KANGRA

Financial Position of Own sources in r/o GP THARU

Years	Op.Balance	Receipt	Instt.	Total	Expenditure	Closing Balance
2022-23	-126780	7229	18262	-101289	123798	-225087
2023-24	-225087	119929	11073	-94085	49963	-144048

checked

PRADHAN SECY

GRAM PANCHAYAT THARU
DEV. BLOCK NAGROTA BAGWAN, KANGRA, H.P.

परिशिष्ट -2
(अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या के सन्दर्भ में)

List of outstanding Property tax for the period of 2022-23 & 2023-24 in r/o GP Tharu Distt.Kangra,H.P.

Years	No. of family	Rate	Op.Balance	Demand during the year	Total	Collection during the year	Closing Balance
2022-23	977	50/-	87550	48850	136400	0	136400
2023-24	977	100/-	136400	97700	234100	71300	162800

SECY

परिशिष्ट - 3
(उल्लेखित ऑब्जेक्शन के पैरा संख्या के सम्बन्ध में)

Year 2022-23

Name of work	Head	Vendar Name	voucher no and da	Bill no.	Payment dt.	Sand Cft	Bajri cft	Boulder m	Brick	Amount
C/o Bhu sarkshan Diwar Tilla Mandir Tak	Mnrega	Akash Saini	18-03-20222	336	25-05-2022	600	330	14	0	77480
C/o Bhu sarkshan Bachao Diwar Netra Mod Tak	Mnrega	Akash Saini	18-03-20222	337	25-05-2022	600	830	16	0	79600
C/o Kuhal Bishu Kumar Ki Jamin Se Lekar Partap Chand	Mnrega	Akash Saini	18-03-20222	338	25-05-2022	600	830	500	0	82000
C/o Kuhal Thakri Devi House to Anil House	Mnrega	Akash Saini	18-03-20222	343	25-05-2022	600	830	500	0	82000
C/o Kuhal Near Amit Ajad House	Mnrega	Akash Saini	18-03-20222	346	25-05-2022	500	650	400	0	66000
C/o Kuhal ba Rasta Railway Line se Saloti Tap Ki aur	Mnrega	Akash Saini	18-03-20222	344	25-05-2022	600	830	500	0	82000
C/o Path Link Road to Swarna Devi House	Mnrega	Akash Saini	18-03-20222	349	25-05-2022	600	830	20	0	84000
C/o Ambulance Road Cold Store se Shiv Mandir Babdi Tak.	Mnrega	Akash Saini	18-03-20222	345	25-05-2022	600	830	500	0	82000
C/o Link Road Tiyala se Lekar Gnudi Rasta Tak	Mnrega	Akash Saini	18-03-20222	341	25-05-2022	600	830	500	0	82000
C/o Link Road Subhash Ki Goushala se Lekar Bablu Dull Tak tak	Mnrega	Akash Saini	18-03-20222	342	25-05-2022	600	830	500	0	82000
C/o Link Road School se Lekar Main Sadak Tak	Mnrega	Akash Saini	18-03-20222	333	25-05-2022	600	830	1000	0	102000
C/o Link Road School se Lekar Main Sadak Tak	Mnrega	Akash Saini	18-03-20222	339	25-05-2022	400	125	13	0	14500
C/o Link Road Angat Ke ghar se leker water Tank tak w-1	Mnrega	Akash Saini	18-03-20222	335	25-05-2022	600	830	1000	0	102000
C/o path Shiv Mandir to Amar nath House.	15th finace	Akash Saini	22-04-20222	10	11/5/2022	400	500	350	0	75850
C/o Path Link road to Gyan Chand House	15th finace	Akash Saini	10/5/2022	27&28, 29	11/5/2022	760	1000	1200	0	143052
						8660	10905	7013		

Total = 12364821/-

PRADHAN SECY

GRAM PANCHAYAT THARU
DEV. BLOCK NAGROTA SUGWAN, KANGRA

21